न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 15/2020
रजिस्ट्रेशन नं. : 2020/00042

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंटस:–

1. श्री रमेश रावल पिता श्री शंकरलाल रावल जाति रावल निवासी 112, सयुक्त बस्ती,आसन तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमति सविता रावल पत्नि श्री रमेश रावल जाति रावल निवासी 112, सयुक्त बस्ती,आसन तहसील गढी जिला बॉसवाडा।
3. श्री नानालाल रावल पिता हीरा लाल रावल जाति रावल निवासी वार्ड नं 10, दौलत सिंह का गढा, पडौली राठौड तहसील गनोडा जिला बॉसवाडा।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 25–01–2021

एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री रमेश रावल पिता श्री शंकरलाल रावल जाति रावल निवासी 112, सयुक्त बस्ती,आसन तहसील गढी जिला बॉसवाडा (ऋणी) 2–श्रीमति सविता रावल पत्नि श्री रमेश रावल जाति रावल निवासी 112, संयुक्त बस्ती,आसन तहसील गढी जिला बॉसवाडा (सहऋणी/बंधककर्ता) एवं 3 श्री नानालाल रावल पिता हीरा लाल रावल जाति रावल निवासी वार्ड नं 10, दौलत सिंह का गढा, पडौली राठौड तहसील गनोडा जिला बॉसवाडा (गारन्टर/अप्रार्थी) को दिनांक 28–04–2015 को राशि रुपया 250000 (दो लाख पचास हजार) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थी के खाते दिनांक 28–01–2020 तक कुल बकाया ऋण राशि 281370 रू. (दो लाख इक्यासी हजार तीन सौ सत्तर) एवं तत्पश्चात राशि मय ब्याज की वसूली के क्रम में मोरगेज बाय डिपोजिट ऑफ टाईटल डीड्स के अन्तर्गत प्रतिभूति श्रीमति सविता रावल पत्नि श्री रमेश रावल की सम्पत्ति पट्टा संख्या 25 दिनांक 20.09.2013, संकल्प सं. 5/20.09.2013, आराजी संख्या 3520 जो ग्राम आसन, पंचायत समिति गढी तहसील गढी व जिला बांसवाड़ा पर स्थित है, माप लगभग 840 वर्ग फीट है। जिसमें भूमि, ... ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके उत्तर में श्री धुलजी पिता दलजी रावल का मकान, दक्षिण में श्री ...नाथ पिता हिरनाथ का मकान, पूर्व में स्वयं का आंगन छोडकर आम रास्ता एवं पश्चिम में श्री ... हीरालाल ... की बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:54:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

वित्त विभाग (Department of financial services) की अधिसूचना दिनांक 18 दिसम्बर 2015 के अनुसार प्रार्थी एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 04–02–2020 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया। दिनांक 11.09.2020 केवल अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा। अप्रार्थी सं.2 अनुपस्थित रही एवं अप्रार्थी सं.3 को पुनः नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण सं.1 व 2 आज दिनांक तक उपस्थित नही हुए। अप्रार्थी सं.3 का नोटिस आज दिनांक 25.01.2021 को बाद तामील प्राप्त हुआ, किन्तु वह भी अनुपस्थित रहा। बावजुद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने एवं जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस बताया गया कि पूर्व में भी कई अवसर प्राप्त होने के बावजुद ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई है न ही जवाब प्रस्तुत एवं अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात एस.आर.जी. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड, एस.एम. लोडा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जावे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.02.26 16:54:55 IST
Reason: SelfAttested

(अंकित कुमार सिंह)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner